

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0
शिक्षा सामान्य(1)तृतीय अनुभाग,
प्रयागराज।

सेवा में,

समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक(प्रभग/द्वितीय),
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:सामान्य(1)तृतीय/ 7589-7688

/2025-26 दिनांक 29-7-2025

विषय: अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सीधी भर्ती के दिनांक 31 मार्च, 2026 तक की सम्भावित रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए रिक्त पद जिनका अध्याचन चयन आयोग को प्रेषित किया जाना है, की सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शासन द्वारा निर्धारित जनशक्ति के अनुसार सीधी भर्ती के रिक्त पद यथा-प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक-स्नातक वृत्तनक्रम एवं सहायक अध्यापक-सम्यद्ध प्राइमरी (वेतन वितरण अधिनियम-1971 के अन्तर्गत पारित प्रथम वेतन विल के अनुसार अनुमन्य पदों की सीमा के अन्तर्गत) के रिक्त पदों को भरने हेतु प्राथमिकतानुसार उ0प्र0 शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज को अध्याचन प्रेषित किया जाना है।

आप अवगत है कि आनलाईन माध्यम से चयन बोर्ड को पूर्व में प्रेषित अध्याचन के सापेक्ष वर्ष-2022 में रिक्त पदों का विज्ञापन किया गया है। अतः उक्त विज्ञापन में सम्मिलित रिक्त पदों को छोड़कर शेष सीधीभर्ती से भरे जाने वाले रिक्तियों (31 मार्च, 2026 तक की सम्भावित रिक्ति को सम्मिलित करते हुये) के सापेक्ष संस्थावार, विषयवार, आरक्षणवार सूचना विस्तृत प्रारूप-1, प्रारूप-क तथा प्रारूप-ख पर त्रुटिरहित पठनीय सूचना/विवरण प्रत्येक दशा में दिनांक 05.08.2025 की सांयकाल 06:00 बजे तक शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 प्रयागराज को हार्ड एवं साफ्ट कापी में ई-मेल admadhyamik@gmail.com पर बिना किसी स्मरण पत्र की प्रतीक्षा किये उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सूचना की मूलप्रति 02 प्रतियों में वाहक के माध्यम से निदेशालय के सामान्य (1) तृतीय अनुभाग में अनिवार्य रूप से प्राप्त कराते हुए प्राप्ति संरक्षित करें। उल्लेखनीय है कि सरथा में सीधीभर्ती के रिक्त किसी भी पदों का विवाद यदि मान0 न्यायालय में विचाराधीन अथवा विवादित हो तो ऐसे पदों को सीधीभर्ती के माध्यम से भरे जाने हेतु रिक्त पदों की सूचना में कदापि सम्मिलित न किया जाय।

प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण/समयवद्ध तथा शासन की सर्वोच्च वरीयता से आच्छादित प्रकृति का है। इस हेतु आपका व्यक्तिगत ध्यान एवं समयवद्धता अपेक्षित है। किसी भी प्रकार का विलम्ब अवांछनीय है।

संलग्नक-उक्तवत

भवदीय,

डॉ०(महेंद्र देव)

शिक्षा निदेशक(माध्यमिक),

उत्तर प्रदेश।

पृ0सं0 सामान्य(1)तृतीय/ 7589-7688

/2025-26 उसी तिथि को

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01- विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-5, लखनऊ।
- 02- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने मण्डल के अधीन जनपदीय अधिकारियों को उक्त समयावधि के भीतर सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रभावी अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।

डॉ०(महेंद्र देव)

शिक्षा निदेशक(माध्यमिक),

उत्तर प्रदेश।